मेरठ विकास प्राधिकरण

की

41वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 22-10-90

का

कार्यवृत्ता

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-10-1990

समय : प्रातः 11 बजे

स्थान :

उपस्थिति :

1-	श्री देशराज सिंह	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री दीपक सिंघल	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	कु० विभा पुरी	विशेष सचिव, वित्त, लखनऊ ।	सदस्य
5-	श्री बी०के०सिंह	संयुक्त सचिव,उ०प्र०शासन, लखनऊ ।	सदस्य
6-	श्री आर०के०वर्मा	अधी०अभि०,आवास विकास परिषद, मेरठ ।	सदस्य
7-	श्री वी०के०गुप्ता	सह०नियोजक, न०एवं ग्रा०नियो०, मेरठ ।	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 16-7-90 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरणकी बैठक आज दिनाँक 16-7-90 को मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया :-

1-	श्री देशराज सिंह	मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
2-	श्री दीपक सिंघल	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
3-	श्री गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी	जिलाधिकारी, मेरठ ।
4-	श्री बी०के०सिंह	संयुक्त सचिव, आवास, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।
5-	कु० विभापुरी	विशेष सचिव(वित्त), उ०प्र०शासन, लखनऊ ।
6-	श्री आर०के०वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, आ०एवं०वि०परिषद, मेरठ ।
7-	श्री वी०के०गुप्ता	सह-नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ ।

मद संख्या 1 व 2

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 16-7-90 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या का अवलोकन।

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 16-7-90 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि बर्ष 1990-91 के बजट के अनुसार द्वितीय त्रैमास हेतु वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उसकी पूर्ति न हो सकी जिसका मुख्य कारण शताब्दी नगर आवासीय योजना में किसानों द्वारा उत्पन्न किया गया गतिरोध है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि 4130 एकड भूमि के जो अभिनिर्णय दिनाँक 22-2-90 में घोषित किये गये हैं उसमें से अभी तक 3,000 एकड भूमि पर कब्जा प्राप्त हुआ है और 1130 एकड भूमि का अभी कब्जा प्राप्त करना शेष है। प्रतिकर के रुप में जिलाधिकारी, मेरठ को अब तक रुपये 87 करोड दिया जा चुका है और मात्र रु० 10 करोड देने शेष है। उपाध्यक्ष ने यह बात भी संज्ञान में लायी कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों द्वारा प्रतिकर वितरण धनराशि का नियमित सत्यापन कोषागार से नहीं कराया जा रहा है। पिछले दिनों जिलाधिकारी, मेरठ के साथ बैठक में कार्यक्रम बनाया गया था उसके फलस्वरुप काफी प्रगति हुई है और ऐसे तथ्य भी सामने आये हैं कि इस बात की आशंका है कि कहीं किसी धनराशि का इमीजेलमेन्ट न हो गया हो। बात की गम्भीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अपरजिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में भूमि अध्याप्ति तथा प्रतिकरण वितरण से सम्बन्धित मामलों हेतु एक समिति गठित की जाये जिसमें वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास के प्रतिनिधि होंगे। यदि किसी विभाग से सम्बन्धित और कोई मामला हो तो उसके अधिकारी भी इसमे सम्मिलित किये जा सकते हैं द्वितीय त्रैमास में जो कमी रही है उसको पूरा करने के जिये जनरल रजिस्ट्रेशन विशेषकर भूखण्डों के लिये खोला जाये जिससे सुविध प्रदाय संस्था कें रुप में जो एल०आई०जी०/ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उन्हें भी पूरा किया जा सके साथ ही डिमान्ड सर्वे हो सके।

शेष बिन्दुओं पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया गया।

मद संख्या - 3

प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना में हाकी के एस्ट्रोटफ मैदान हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित बहुउद्देशीय स्टेडियम में एस्ट्रोटफ हाकी मैदान हेतु भूमि पट्टे पर उपलब्ध करादी जाये और खेलकूद निदेशालय के साथ टर्म्स एण्ड कन्डीशन निर्धारित कर ली जाये । उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि का लीज रैन्ट भी निर्धारित कर लिया जाये ।

मद संख्या - 4

विकास शुल्क के रुप में जमा धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव को शहर के पुरानी आबादी के विकास हेतु उपयोगी मानते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी । विशेष सचिव (वित्त) ने मत व्यक्त किया कि यह कदाचित उचित नहीं होगा कि जिस गली मौहल्ले में विकास शुल्क की धनराशि प्राप्त हुई है वहीं की गली-मौहल्ले के विकास पर लगायी जाये । निश्चय किया गया कि विकास शुल्क के रुप में जो संसाधन प्राधिकरण को प्राप्त होते है उन्हें पूल करके ही विकास कार्य कराया जाये । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि जहाँ काम कराया जाये उपाध्यक्ष प्रशासनिक निर्णय स्वयं लेंगे । उपाध्यक्ष ने यह बात भी प्राधिकरण के समक्ष रखी कि आवास एवं विकास परिषद को जो क्षेत्र नगर महापालिका को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित है, में कम्पाउडिंग तथा मानचित्र स्वीकृति का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए । इस पर अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद का कहना था कि जब तक नोटिफिकेशन न हो जाये तब तक यह कार्यवाही नहीं हो सकती । सदस्यों का मत था कि जो क्षेत्र नगर महापालिका को हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरुप आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्र में नहीं रह गये है उन पर वह कम्पाउन्डिंग तथा मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही नहीं कर सकते । निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण अर्बन प्लानिंग डवलपमेन्ट एक्ट 1973 की

व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कार्यवाही करें जिस तरह से अन्य नगर महापालिका क्षेत्रों के बारे में करता है। यदि इसमें किसी तरह की नोटिफिकेशन की आवश्यकता हो तो अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद/मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका सुनिशिचत करें।

मद संख्या - 5

मेरठ शहर में लिसाडी रोड एवं खत्ता रोड को मिलाने वाली लिंक रोड के निर्माण हेतु मेरठ शहर की 0.65 एकड भूमि का भूमि अर्जन प्रस्ताव निरस्त किया जाना।

प्रस्ताव पर विचार किया गया। लिंक रोड के निर्माण हेतु अर्जित की गयी भूमि का उद्देश्य क्षेत्र में आवागमन को सुचारु बनाना था जो अभी पूरा नहीं हुआ है। अत: अर्जन प्रस्ताव निरस्त किये जाने को औचित्य नहीं पाते हुए प्रस्ताव निरस्त किया गया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि शासन में धारा-4, 6/17 की विज्ञप्तियाँ निर्गत किये जाने हेतु लम्बित प्रस्ताव पर कार्यवाही हेतु अनुस्मारक भेजे जाये।

मद संख्या -6

मैसर्स सूर्य प्रिन्टस की ग्राम रिठानी में स्थित भूमि खसरा नं० 1043 क्षेत्रफल 0-18-0 बीघा को प्राधिकरण की योजना में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव।

चूँकि भूमि अध्याप्ति एवं प्रतिकर वितरण समिति का गठन आज की बैठक में किया जा चुका है। अत: इस प्रस्ताव पर यह समिति पहले विचार करें फिर समिति की संस्तुतियों सहित प्रस्ताव प्राधिकरण की अगली बैठक में रखा जाये।

मद संख्या -7

भूमि अर्जन के पुराने प्रस्ताव जिनमें भूमि अर्जन की स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी हुई है और जिनमें धारा-4,6 व 17 की विज्ञप्तियाँ अभी निर्गत नहीं हुई है, उनको बनाये रखना अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव।

मद संख्या-6 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर जोर नहीं दिया गया इसका परीक्षण भी पहले भूमि अध्याप्ति एवं प्रतिकर समिति करेगी तभी प्राधिकरण के समक्ष रखा जायेगा।

मद संख्या - 8

मेरठ दिल्ली मार्ग पर ग्राम बराल परतापुर में खसरा संख्या -756अ तथा 756ब (नीलगिरि सीमेन्ट) का भूउपयोग परिवर्तन प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। श्री वी०के० गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, मेरठ ने अवगत कराया कि उपरोक्त खसरा नं० के आसपास का क्षेत्र औद्योगिक भूउपयोग वाला है केवल प्रस्तावित खसरा नं० का भूउपयोग महायोजना में पी-3 है। श्री गुप्ता ने यह भी बताया कि पुनरीक्षित महायोजना में पी-3 भूउपयोग वाले इस क्षेत्रफल को औद्योगिक भूउपयोग क्षेत्रफल के रुप में प्रस्तावित किया जा रहा है। पुनरीक्षित महायोजना ड्राफट प्लान अगली बैठक मेंप्रस्तुत करने का उन्होंने आश्वासन दिया उनका यह भी कहना था कि जब तक पुनरीक्षित महायोजना ड्राफट प्लान प्राधिकरण की बैठक से अनुमोदित नहीं हो जाता है तब तक वर्तमान महायोजना के प्राविधान लागू होंगे। निर्णय लिया गया कि चूँकि आस पास का क्षेत्र पहले से औद्योगिक भूउपयोग का है और वी-3 भूउपयोग की इस छोटी पट्टी को भी पुनरीक्षित महायोजना में औद्योगिक भूउपयोग हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। अत: उपरोक्त खसरा नं० के पी-3 भूउपयोग से औद्योगिक भूउपयोग में परविर्तित किये जाने की संस्तुति शासन कोभेज दी जाये। अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिये कि औद्योगिक भवन मानचित्र इस पी-3 एरिया के इन्टरटेन किया जाये परन्तु उन पर स्वीकृति

प्राधिकरण से पुनरीक्षित महायोजना ड्राफट प्लान अनुमोदित होने के बाद ही दी जा सकती है ।

मद संख्या - 9

आवास विकास परिषद की योजना सं०-1 के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया । अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद ने बताया कि परिषद की योजना सं०-1 में 103.22 एकड भूमि जो व्यवसायिक उपयोग की है, का निस्तारण नहीं हो रहा है और उस पर अनाधिकृत कब्जा होते जा रहे हैं परिषद की आवासीय योजनाओं में पहले से ही दूकाने तथा छोटे-छोटे मार्केट सुलभ है । इसी का परिणाम है कि व्यवसायिक माँग नगण्य होने के कारण इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है । सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि द्वितीय चरण की 55.2 एकड भूमि में से 25 एकड भूमि को व्यवसायिक उपयोग से आवासीय में परिवर्तित किये जाने की संस्तुति शासन को भेज दी जाये ।

मद संख्या - 10, 11, 12

भाई जोगा सिंह इंगलिश मीडियम पब्लिक स्कूल, देवपुरी, मेरठ सेठ छज्जू सिंह, झन्डू सिंह माहेश्वरी जूनियर हाई स्कूल, सराय लाल दास, मेरठ तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री हायर सेकेन्ड्री स्कूल, शिवाजी कालोनी, मेरठ को रियायती दरों पर भूमि आबंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव ।

उपरोक्त शैक्षिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आबंटित किये जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण ने विचार किया । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या - 7323/11-5-86-200(148)-86 दिनाँक 11 नवम्बर, 1986 में दी गयी व्यवस्था के अनुरुप रियायती दर पर इन शैक्षिक संस्थाओं को भूमि दे दी जाये । उपाध्यक्ष अपने स्तर से आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें । व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि इन शिक्षा संस्थाओं की प्रबन्ध समिति में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा सचिव

सदस्य होंगे और प्रवेश हेतु प्रत्येक कक्षा में 5 सीटें उनके निस्तारण पर आरक्षित रहेंगी ।

क्र०सं०	शिक्षण संस्था का नाम	योजना जिसमें भूमि दी गयी	क्षेत्रफल
1-	भाई जोगा सिंह इंगलिश मीडियम पब्लिक स्कूल, देवपुरी, मेरठ	शताब्दी नगर योजना	पाँच एकड
2-	सेठ छज्जू सिंह, झन्डू सिंह माहेश्वरी जूनियर हाई स्कूल, सराय लाल दास,मेरठ	पल्लवपुरम योजना	चार हजार व०मी०
3-	श्री लाल बहादुर शास्त्री हायर सेकेन्ड्री स्कूल, शिवाजी कालोनी, मेरठ	पल्लवपुरम योजना	बीसहजार व०मी०

मद संख्या - 13

विकास भवन की देख-रेख व सुव्यवस्था के लिये स्टाफ की स्वीकृति हेतु ।

प्राधिकरण के बढते हुए कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए विकास भवन तथा प्राधिकरण के आवासीय योजनाओं के लिये रखरखाव हेतु मेन्टीनेन्स अनुभाग हेतु जिसमें निम्न स्टाफ होगा की विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी :-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1-	इलैक्ट्रीशियन	825-1200	1
2-	प्लम्बर	825-1200	1
3-	बढई/कारपेन्टर	825-1200	1
4-	जनरेटर आपरेटर	775-1025	1
5-	टयूबबैलआपरेटर	775-1025	2
6-	स्वच्छक/सफाई कर्मचारी	750-940	4
7-	चौकीदार/सुरक्षा गार्ड	750-940	8

अन्य बिषय

1- मेरठ विकास क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार किया गया । उपाध्यक्ष ने बताया कि इस समय लगभग 148 कालोनियाँ हैं जो प्राधिकरण से स्वीकृत नही हैं इसमें से 80 ऐसी

कालोनियाँ हैं जिनका भूउपयोग आवासीय है उन्होंने यह भी कहा कि कानपुर विकास प्राधिकरण में ऐसी अनाधिकृत कालोनियों के लिये नियमितीकरण हेतु जो प्रक्रिया एवं मापदण्ड अपनाये हैं उन्हीं के अनुरुप मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यवाही करने का विचार रखता है । सर्वसम्मत से यह निश्चय किया गया कि प्रस्ताव में जो सर्वे प्रस्तावित किये गये हें उन्हें पूरा करके इन कालोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही कानपुर विकास प्राधिकरण की भाँति की जाये ।

2- मेरठ पब्लिक स्कूल को क्रीडा स्थल हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मद संख्या-10,11,12 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये चूँकि क्रीडा स्थल हेतु उपरोक्त शिक्षण संस्था को रियायती दर पर भूमि दिये जाने का प्रस्ताव है । अत: उचित होगा कि गंगानगर आवासीय योजना (एक्सटेंशन) के अन्तर्गत ग्रीन वैल्ट में से 2 एकड भूमि आबंटित की जाये । शेष शर्तें प्रस्ताव संख्या 10, 11, 12 में लिये गये निर्णय के अनुसार रहेंगी ।

3- प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना 443.5 एकड तथा शताब्दी नगर सैक्टर-9 की 137.24 एकड तथा मेरठ दिल्ली रोड पर स्पोंटस कॉम्पलैक्स की भूमि के तलपट मानचित्रों पर औपचारिक स्वीकृति ।

प्राधिकरण ने उपरोक्त योजनाओं के तलपट मानचित्रों पर अनुमोदन प्रदान किया और निर्देश दिये कि आवश्यकता पडने पर हलके फुलके एडजस्टमेन्ट तलपट मानचित्रों में उपाध्यक्ष स्तर से किये जा सकते है ।

4- जेल चुँगी स्थित महापालिका का खसरा नं०-5676 एवं 5672 की भूमि का विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण ।

प्रस्ताव पर विचार किया गया । चूँकि उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि नजूल की है जिसका रख रखाव मात्र ही नगर महापालिका कर रही है । अत:

शासन की पूर्व अनुमति के बगैर इसका हस्तान्तरण प्राधिकरण को नहीं किया जा सकता । अत: प्रस्ताव निरस्त किया जाता है ।

5- साकेत कालोनी में आडीटोरियम का निर्माण ।

आडीटोरियम के निर्माण हेतु गन्ना विभाग 50 प्रतिशत लागत देने को तैयार है । अत: यह योजना मेरठ शहर के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगीं प्राधिकरण ने आडीटोरियम कनसेप्ट डिजाईन को अवलोकित कर अगिम कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की ।

6- प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को आबंटित भवनों/ भूखण्डों पर पडने वाले सुपरवीजन चार्ज, लाभान्श व अधिष्ठान व्यय तथा पंजीकरण राशि 10 प्रतिशत लिये जाने का प्रस्ताव पर विचार ।

प्रस्ताव पर विचार किया गया । लाभान्श की सुविधा केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण को छोडकर कहीं और प्रदान नहीं की जाती है । प्राधिकरण कर्मचारियों/अधिकारियो के लिये भवनों/ भूखण्डों के आबंटन का कोटा पहले से ही निर्धारित है । अत: प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण न मानते हुए निरस्त किया गया ।

7- प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 24-12-86 के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समय समय पर बाँछित ऋण प्राप्त किये जाने की सहमति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न ऋणदायी संस्थाओं से प्राप्त ऋण जिसका विवरण आज की बैठक में प्रस्तुत किया गया, का अवलोकन कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

8- नैवल हैडक्वाटर्स, रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार को 100 एकड भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर सिद्धान्त रुप से विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी । यह निर्देश दिये गये कि नैवल हैडक्वाटर्स के अधिकारियों के साथ भूमि की जो भी दरें नेगोशिएशन से तय हों उन पर अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये ।

9- गढ रोड स्थित मधु नर्सिंग होम के सामने खसरा नं०-6041 नगर महापालिका की भूमि का मेरठ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जाने वाली खसरा नं० - 6041 के सम्बन्ध में टर्म एण्ड कन्डीशन निशिचत कर लिये जाये और पूरे विवरण के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

10(अ) प्राधिकरण में आवश्यक पदों पर नियुक्ति।

प्रस्ताव पर विचार किया गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि गत बर्ष प्राधिकरण के रु० 76 करोड के बजट के विरुद्ध रुपये 99 करोड की अधिक उपलब्धियाँ प्राप्त की गयी हैं प्राधिकरण का बर्ष 1990-91 का बजट 110 करोड का है। प्राधिकरण में इस बर्ष 4 नये अभियन्त्रण खण्ड सृजित हुए हैं जिनमें शासन द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता की नियुक्ति भी की गयी है । शासनादेश संख्या - 2987/37-2-96-डी०ए०/87 दिनाँक 24-5-83 में एक अभियन्त्रण खण्ड के लिये न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर अकेन्द्रीयत सेवा के जो तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पद अनुमन्य हैं उन पर नियुक्ति की आवश्यकता है ताकि इस अभियन्त्रण खण्ड को सक्रिय और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि शासनादेश संख्या 20/24/89-कार्मिक-2 दिनाँक 24-9-90 द्वारा नियुक्तियों पर लगा प्रतिबन्ध हटा लिया गया है । अकेन्द्रीयत सेवा के निम्न पदों की नियुक्ति का अधिकार प्राधिकरण के उपाध्यक्ष में निहित है । शासनादेश दिनाँक 24-5-83 में एक अभियन्त्रण खण्ड

के बार्षिक कार्यो का मानक एक से डेढ करोड रखा गया है जबकि प्राधिकरण के बर्ष 1990-91 के बजट में लगभग 50 करोड का प्राविधान विकास तथा निर्माण कार्यो हेतु किया गया है। अगर इसे 7 अभियन्त्रण खण्डों पर बाँटा जाये तो प्रति अभियन्त्रण खण्ड पर 7 करोड से अधिक का कार्य आता है। प्राधिकरण के बढते हुए कार्यो को देखते हुए तथा मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बडे पैमाने पर अध्याप्ति की गयी भूमि के नियोजन एवं निस्तारण को देखते हुए भूमि के नियोजन एवं निस्तारण को देखते हुए इस बात का पूरा औचित्य पाया गया कि निवेदित पदों पर नियुक्ति की महति आवश्यकता हैं तदनुसार निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिये कि प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवा नियमावली अभी शासन से अनुमोदित नहीं हुई है। शासन के कार्मिक विभाग वर्ग ग व घ के कर्मचारियों की सेवा नियमावली के अनुरुप विधिवत चयन की कार्यवाही की जाये और जिन संवर्गो का कोटा पूरा नहीं है उसे शासनादेशों के अनुरुप चयन के समय पर पूरा किया जाये। प्राधिकरण में पहले से कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कम्रचारियों को गुण दोषके आधार पर वरीयता दिया जाना उचित होगा।

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1-	ड्राफटसमैन ग्रेड - 1	2
2-	लेखालिपिक	7
3-	जूनियर क्लर्क	4
4-	टंकक	7
5-	अनुचर	16

10(ब) प्रधान लिपिकों के पदों का सृजन एवं पदोन्नति।

मेरठ विकास प्राधिकरण के बढे हुए कार्यो तथा कम्प्यूटर की स्थापना को देखते हुए निम्न पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

1- सम्पत्ति अनुभाग, भवन नियन्त्रण अनुभाग, मुख्य अभियन्ता शाखा में प्रधान लिपिक के तीन पद स्वीकृत किये गये।

2- नगर नियोजक हेतु
आशुलिपिक - एक
लिपिक - दो
अनुचर - दो

प्राधिकरण के अधिकारियों हेतु वाहने के बढने से वाहन चालक के 5 पद स्वीकृत किये गये ।

कम्प्यूटर अनुभाग
कम्प्यूटर प्रोग्रामर - एक
कन्सोल आपरेटर - दो
डाटा एन्ट्री - पाँच
कम्प्यूटर रुम अटेन्डेन्ट - तीन

11- अनाधिकृत रुप से बैनामी बनायी जा रही कालोनियों पर रोक के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि निजी भूस्वामी तथा प्राईवेट डवलपर्स द्वारा बनायी जा रही कालोनियों के बारे में पूरा विवरण तैयार करके अगली बैठक में प्रस्ताव रखा जाये । इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये डिमोलेशन स्क्वायड का गठन किया जाये तथा प्रवर्तन की कार्यवाही सख्ती से की जाये । आवश्यकतानुसार भारतीय दण्ड सं० के अन्तर्गत मुकदमें कायम करायें जायें ।

12- विकास प्राधिकरण की हथकरघा नगर योजना में अर्जित ग्राम घोसीपुर में स्थित भूमि खसरा सं०-290 क्षेत्रफल 0-4-13-10 बीघा अर्थात 715-00 वर्गगज का योजना के ले-आउट में समायोजन किया जाना ।

इस प्रस्ताव को भी भूअर्जन समिति द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त ही प्राधिकरण की बैठक में लाया जाये ।

अन्त में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण ने आज की बैठक की अध्यक्षता के लिये अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया तथा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ आज की बैठक समाप्त की गयी ।

अनुमोदित ।

ह०/-

(देश राज सिंह)

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।